an>

Title: Motion regarding presentation of the report of the Joint Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2015, time for extension

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

कि यह सभा दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय को बजट सत्र, 2016 के दूसरे भाग के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाए।

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2015 upto the last day of the first week of second part of the Budget Session, 2016."

The motion was adopted.

---

* *Memorandum giving reasons for extension of time circulated separately.*

माननीय अध्यक्ष : आज शून्यकाल शाम को लिया जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Respected Speaker, I would like to bring to your kind notice that some derogatory remarks made against respected leaders of Congress Party, Shrimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi were not expunged from the records. The references to the RSS, Shri O.P. Sharma and Nathuram Godse were deleted from the Shri Jyotiraditya Scindia's speech in the Lok Sabha on 'situation arising out of recent incidents in the institutions of higher education in reference to Jawaharlal Nehru and Hyderabad Universities and other universities'. However, the names of Shrimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi still persist on the records as part of Shri Anurag Singh Thakur's speech, which alleged that Shri Rahul Gandhi was supporting the anti-national activity. I am also submitting the text of the speech.

Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha states:

"No allegations of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.

Provided that the Speaker may at any time prohibit any Member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

You have removed those names. He has made derogatory remarks. I am going to hand over the debates to you later on. This should be expunged. Otherwise, what will happen is everybody will criticize and everybody will give his or her opinion about the individuals as to who is a nationalist or who is an anti-nationalist, etc.

Therefore, you have, under Rule 353, deleted other names. You could not have deleted that. Still that is your discretion. You have done that. On the same parameter, I request you to delete these two names from the reference which I am going to hand over to you and accordingly correct the proceedings.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी का अधिकार है कि जिस विषय पर उनकी आपत्ति है, उस विषय पर अपनी टिप्पणी करके आपके समक्ष रखें कि इन नामों को भी सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। अंततोगत्वा धारा 353 के अंतर्गत यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस विषय में अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष का होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई विषय रखा गया है तो इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम है। चूंकि श्री अनुराग ठाकुर सदन में उपस्थित हैं, उनका नाम भी लिया गया है इसलिए वे भी स्वाभाविक रूप से इस विषय को रखेंगे। जिस तरह से यह विषय खड़गे जी द्वारा आपके संज्ञान में लाया गया है, उसी तरह से आप श्री अनुराग ठाकुर को भी एक विषय सदन के सामने रखने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे तो मुझे ही देखना है। It is my prerogative. I am sorry.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this?

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: How can an hon. Member become anti-national? Has he become anti-national just because he is saying?

HON. SPEAKER: I will have to see all these things.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं सारी बातों को देखूंगी। आप ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। आपने आज यह विषय उठाया है, मैं पहले इसे देखूंगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैडम स्पीकर, आज दो बड़े स्टेटमेंट्स पेपर में छपे हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूर्व गृह सचिव ने कहा है कि . Pillai distances himself from Ishrat's affidavit. और पूर्व गृह मंत्री ने अफ़ज़ल गुरु की फांसी पर भी प्रश्न खड़े किये हैं। आपके माध्यम से मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जो एफिडेविट की बात कही गयी, वह एफिडेविट 6 अगस्त, 2009 को दायर किया गया था और उसे वापस...(व्यवधान) मैंने सुबह में नोटिस दिया है। ...(व्यवधान) कई वर्षों तक लगातार इशरत जहाँ के केस में पूरा देश देख रहा था, ...(व्यवधान) इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, को फंसाने का जिस तरह से प्रयास किया गया, उसे देश जानना चाहता है। जिस तरह से पूर्व गृह सचिव ने कहा कि किस तरह से एफिडेविट को बदला गया। ...(व्यवधान) पूर्व सरकार के समय 6 अगस्त, 2009 को ऐफिडेविट दायर किया गया और सितम्बर महीने में उसे बदल दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : एनकाउंटर वर्ष 2004 में हुआ। यह प्रश्नचिह्न खड़ा किया जाता था कि यह फेक एनकाउंटर है। लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक सोची-समझी साज़िश थी। ..(व्यवधान) जिसे पूर्व सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए की थी। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : It is okay.

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ..(व्यवधान) इस साज़िश के पीछे कौन थे? उन्होंने कहा कि एफिडेविट को पोलिटिकल लेवल पर बदला गया था। पोलिटिकल लेवल पर वे कौन लोग थे, इसे देश जानना चाहता है। ..(व्यवधान) किन लोगों ने उस एफिडेविट को पोलिटिकल लेवल पर बदला, यह देश जानना चाहता है।..(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, we take up the debate on the Motion of Thanks on the President's Address.

Shri Sultan Ahmed.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Sultan Ahmed.

...(*Interruptions*)â€¦ *

HON. SPEAKER: Yes, I know. I have seen it. Please sit down.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You give notices on different rules. You give notice under relevant rule. It is not an adjournment motion. मुझे मालूम है।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Sultan Ahmed.

...(*Interruptions*)â€¦ *

माननीय अध्यक्ष : आपने एडज़र्नमेंट नोटिस दिया था, उस पर मैंने आपको बता दिया है। Not now. आप दूसरी नोटिस दे दें। I am sorry.

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

..(व्यवधान)

12.24 hours

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS-Contd.